

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक: १२७३१ / वाद संख्या सी-०६६५/एस-३/२०२६

दिनांक: १७/१०/२०२६

श्री डी.एस. रावत/भवन स्वामी

ई.डबल्यू.एस-१११ एम.डी.डी.ए. कालोनी केदारपुरम
देहरादून।

विषय- मा० उच्चतम न्यायालय SLP (C) संख्या ८०४४-८०४५/२०२५ लॉगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के अनुपालन में प्राधिकरण के वाद संख्या सी-०६६५/एस-३/२०२६ के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विपक्षी श्री डी.एस. रावत/भवन स्वामी द्वारा स्थल ई.डबल्यू.एस-१११ एम.डी.डी.ए. कालोनी केदारपुरम देहरादून में प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किए आवासीय भवन में व्यवसायिक उपयोग हेतु लगभग २० गुणा ८ फीट क्षेत्रफल में दुकान का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा २७(१) के अन्तर्गत कारण बताओं एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद संख्या सी-०६६५/एस-३/२०२६ योजित किया गया। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक १२.१०.२०२६ की तिथि नियत की गयी। जिसमें विपक्षी उपस्थित रहे, जवाब दाखिल किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा व्यवसायिक कार्य की कोई स्वीकृति/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

आदेश

विपक्षी के उक्त चालानशुदा निर्माण की कोई स्वीकृति न दिखाने एवं व्यवसायिक कार्य करने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सील आदेश पारित करते हुए दिनांक २३/१०/२०२६ को सील किया जाना है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न हटाने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-

- १-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- २-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या १२०५/विविध-जेए /२०२४ दिनांक ०७.०१.२०२४ द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
- ३-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, नेहरू कालोनी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ४-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
- ५-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ६-आईटी० अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

१७/१०/२६
संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

